प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 2189/2006

याचिकाकर्ता : बाल साई साहू, पिता खुली राम साहू, आयु लगभग 54 वर्ष, निवासी–जयपुर, थाना बैकुंठपुर, जिला कोरिया [छ०ग०]

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :
1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य, आदिम जाति एवं अनु. जाति विकास मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर (छ०ग०)
2) सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोरिया, बैकुंठपुर, कोरिया [छ०ग०]।
3) कलेक्टर, कोरिया, बैकुंठपुर, कोरिया [छ०ग०]।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत प्रस्तुत याचिका

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका क्र. 2189/2006

याचिकाकर्ता : बाल साई साहू

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्री जे. के. शास्त्री, अधिवक्ता।
: राज्य के लिए श्री सतीश गुप्ता, उप शासकीय अधिवक्ता

मौखिक आदेश

(1 मई, 2006)

1. याचिकाकर्ता, जोशासकीय प्राथमिक विद्यालय, जयपुर, विकासखंड–बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ०ग०) में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत था, को आदेश दिनांक 6.9.2005(अनुलग्नक पी–1) द्वारा उसी जिले के भीतर शासकीय प्राथमिक विद्यालय मुरकिल, विकासखंड भरतपुर, जिला कोरिया (छ०ग०) में स्थानांतरित कर दिया गया था।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि यह आदेश अभी तक याचिकाकर्ता को संसूचित नहीं किया गया है और याचिकाकर्ता को अभी तक उक्त आदेश के अनुपालन में कार्यमुक्त नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण आदेश की तामीली

और याचिकाकर्ता को मूल स्थान से नियुक्ति के नए स्थान पर राहत देने के संबंध में याचिका में कोई प्रकथन नहीं किया है। याचिकाकर्ता का कथन अत्यंत ही अस्पष्ट है क्योंकि यह न तो किसी शपथपत्र द्वारा समर्थित है और न ही किसी दस्तावेज द्वारा। यह स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त किया गया है या नहीं।

3. अन्यथा भी, स्थानांतरण मामलों में इस न्यायालय के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश है। उच्च न्यायालय केवल उन्हीं मामलों में स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है, जहां आदेश किसी अक्षम अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो और/या वैधानिक नियमों या विनियमों के विपरीत हो या दुर्भावना से प्रेरित हो। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्तमान प्रकरण में ऐसा कुछ भी प्रदर्शित नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. तदनुसार, जहां तक स्थानांतरण आदेश का संबंध है, यह याचिका खारिज की जाती है। अन्य अनुतोष या अनुज्ञा के लिए, याचिकाकर्ता ने कोई प्रकथन नहीं किया है। हालांकि, याचिकाकर्ता को वाद हेतुक उद्भूत होने पर, एक पृथक याचिका में इसे उत्थापित करने की स्वतंत्रता है।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**